

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांक 6057568
ग्रा0वि0-6-बजट/05-10/2026

पटना, दिनांक 10.08.26

प्रेषक,

मन्जु प्रसाद,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना ।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2026-27 में मांग संख्या-42 के तहत NRLM अंतर्गत SVEP योजना के क्रियान्वयन हेतु SNA-SPARSH के तहत केन्द्रांश के सामान्य मद में प्रथम किस्त के रूप में राशि ₹0 900.00 लाख (नौ करोड़) एवं इस राशि के विरुद्ध 60:40 के अनुपात में देय आनुपातिक राज्यांश की राशि ₹0 600.00 लाख (छह करोड़) अर्थात् कुल राशि ₹0 1500.00 लाख (पन्द्रह करोड़) का आवंटन के संबंध में ।

प्रसंग :- विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-6032567 दिनांक-05.08.2026

2. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक-S-11052/27/2015/NRLM (SVEP)/Bihar(SVEP_SNA_SPARSH_30) दिनांक-09.07.2026 द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0) अंतर्गत SVEP योजना के क्रियान्वयन हेतु SNA-SPARSH के तहत केन्द्रांश के सामान्य मद में प्रथम किस्त के रूप में राशि ₹0 900.00 लाख (नौ करोड़) का Mother Sanction विमुक्त की गयी है ।

3. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0) योजना के अंतर्गत SVEP के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार से SNA-SPARSH के तहत Mother Sanction के रूप में प्राप्त राशि के विरुद्ध अनुपातिक (60:40) देय राज्यांश की राशि निम्नवत् है:-

(राशि लाख ₹0 में)

क्र.सं.	केन्द्रांश (60%)	आनुपातिक देय राज्यांश (40%)
1	900.00	600.00

4. उपर्युक्त के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2026-27 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0) योजना के अंतर्गत SVEP के क्रियान्वयन हेतु निम्नरूपेण राशि का आवंटन किया जाता है:-

(राशि लाख ₹0 में)

क्र.सं.	घटक	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल
1	सामान्य	900.00	600.00	1500.00

5. उक्त के आलोक में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0) योजना के अंतर्गत SVEP के क्रियान्वयन हेतु केन्द्रांश तथा राज्यांश की कुल राशि 1500.00 लाख (पन्द्रह करोड़) की निकासी विभागीय मांग सं0-42 के निम्नांकित बजट शीर्षों के अंतर्गत विकलनीय है:-

(राशि लाख ₹0 में)

क्र 0सं 0	बजट शीर्ष	केन्द्रांश मद की राशि (60%)	राज्यांश मद की राशि (40%)	कुल विमुक्ति एवं व्यय हेतु स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5=(3+4)
1	मुख्य शीर्ष- 2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम उप मुख्य शीर्ष- 06 स्वरोजगार कार्यक्रम लघुशीर्ष- 101 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, उप शीर्ष- 0205 स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम(एसवीईपी) (एन0आर0एल0एम0) योजना विपत्र कोड 42-2501061010205 विस्तृत शीर्ष- 31 सहायक अनुदान विषय शीर्ष 06- गैर वेतन (सामान्य मद)	900.00	600.00	1500.00
	कुल-	900.00	600.00	1500.00

6. बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) के पत्रांक-BRLPS/Accts/677/26/3849 दिनांक-29.07.2026 के साथ संलग्न सूची के अनुरूप स्वीकृत राशि का आवंटन राज्य (मुख्यालय) एवं जिलों को किया जाता है। (अनुलग्नक धारित)

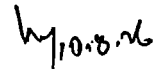
7. राशि का आवंटन विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-6032567 दिनांक-05.08.2026 द्वारा व्यय हेतु स्वीकृत राशि के अंतर्गत किया जाता है ।

8. वित्त मंत्रालय भारत सरकार का पत्रांक-F.N.1(27)/PFMS/2020 दिनांक-13.07.2023, 07.08.2023, 20.11.2023, 16.01.2024, 20.06.2024 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य निदेश के आलोक में राशि का व्यय/हस्तान्तरण सुनिश्चित किया जायेगा ।

9. बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (बी.आर.एल.पी.एस.) एजेंसी द्वारा योजना का अलग से लेखा संधारण सुनिश्चित किया जायेगा । SNA SPARSH Module से राशि निकासी के आलोक में विहित प्रावधान के तहत व्यय सुनिश्चित कराया जायेगा ।

10. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना तथा वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन

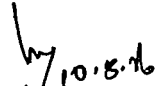


(मन्जु प्रसाद)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक 6057568 पटना, दिनांक 10.08.26

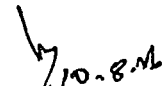
प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।



सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक 6057568 पटना, दिनांक 10.08.26

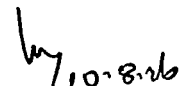
प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार (सिंचाई भवन), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।



सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक 6057568 पटना, दिनांक 10.08.26

प्रतिलिपि- वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/ मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह- राज्य मिशन निदेशक, जीविका, विद्युत भवन, एनेक्सी-2, बेली रोड, पटना/ आई०टी०मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) /विभागीय लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

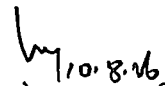


सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक 6057568

पटना, दिनांक 10.08.26

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार के वरीय प्रधान आप्त सचिव/ माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।



सरकार के अपर सचिव

29-7-26

ECN — 6004749

30/7/2026



BSP PR

जीविका

ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बिहार



बिहार सरकार

तृतीय तल, विद्युत भवन-2, बेली रोड, पटना- 800 021, दूरभाष: +91-612-250 4980, फ़ैक्स: +91-612-250 4960, वेबसाइट: www.brlps.in

पत्रांक:- BRLPS/Accts/466/17-Vol-II/3849

दिनांक:- 29.07.2026

प्रेषक,

निदेशक,

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका)

पटना।

सेवा में,

श्रीमती रेणु कुमारी,

विशेष कार्य पदाधिकारी,

ग्रामीण विकास विभाग,

बिहार सरकार, पटना।

विषय: केंद्र प्रायोजित योजना (SVEP) के अंतर्गत प्राप्त Mother Sanction के आलोक में केन्द्रांश एवं इसके समानुपातिक राज्यांश मद में स्वीकृत राशि से संबंधित विषय शीर्षवार राज्य (मुख्यालय) एवं जिला के लिए आवंटन विवरणी उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग: ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत- सरकार के पत्रांक: S-11052/27/2015/NRLM(SVEP) Bihar (SVEP_SNA_SPARSH_30)
दिनांक : 09.07.2026.

महाशया,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि केंद्र प्रायोजित योजना SVEP के अंतर्गत केन्द्रांश मद में भारत-सरकार से SNA-SPARSH के तहत Mother Sanction के रूप में कुल ₹1500.00 लाख निर्गत की गई है। निर्गत केन्द्रांश एवं इसके समानुपातिक राज्यांश मद में घटक वार स्वीकृत राशि से संबंधित विवरणी निम्नवत है :-

क्र.सं.	घटक	केन्द्रांश	राज्यांश	राशि रु० लाख में
				कुल
1	सामान्य	₹900.00	₹600.00	₹1500.00
	कुल	₹900.00	₹600.00	₹1500.00

उक्त राशि से संबंधित घटक एवं इकाईवार (जिला एवं मुख्यालय सहित) आवंटन विवरणी पत्र के साथ संलग्न कर उपलब्ध कराई जा रही है।

अतः अनुरोध है कि पत्र के साथ संलग्न विवरणी के आलोक में स्वीकृत राशि ₹1500.00 लाख को आवंटित करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन

(निदेशक)

A. Limit for State Unit (SPMU) against SVEP Mother Sanction (1st Installment)

(Rupees in Lakh)

Particulars	General (Central+State)	Total
	3106	
State Unit (SPMU)	27.00	27.00

B. Limit for Districts Units (DPCUs) against SVEP Mother Sanction (1st Installment) for the

Particulars	General (Central+State)	Total
District	3106	
DPCU - AURANGABAD	30.00	30.00
DPCU - BEGUSARAI	53.50	53.50
DPCU - BHAGALPUR	40.00	40.00
DPCU - BHOJPUR	8.50	8.50
DPCU - BUXAR	5.00	5.00
DPCU - DARBHANGA	48.50	48.50
DPCU - GAYA	80.00	80.00
DPCU - JAMUI	15.00	15.00
DPCU - JEHANABAD	10.00	10.00
DPCU - KAIMUR(BHABUA)	30.00	30.00
DPCU - KATIHAR	120.00	120.00
DPCU - KHAGARIA	40.00	40.00
DPCU - KISHANGANJ	8.50	8.50
DPCU - MADHEPURA	40.00	40.00
DPCU - MADHUBANI	80.00	80.00
DPCU - MUNGER	40.00	40.00
DPCU - MUZAFFARPUR	30.00	30.00
DPCU - NAWADA	190.00	190.00
DPCU - PASHCHIM CHAMPARAN	55.00	55.00
DPCU - PATNA	72.00	72.00
DPCU - PURBA CHAMPARAN	55.00	55.00
DPCU - PURNIA	30.00	30.00
DPCU - SAHARSA	8.50	8.50
DPCU - SARAN	45.00	45.00
DPCU - SASARAM(ROHTAS)	160.00	160.00
DPCU - SUPAUL	70.00	70.00
DPCU - VAISHALI	108.50	108.50
Districts (DPCU) Total (A)	1473.00	1473.00
State Unit (SPMU) Total (B)	27.00	27.00
Grand Total (A+B)	1500.00	1500.00